5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

170

निग – 1857 – I – 16

प्र.क. /2016 पुनरीक्षण

सोहन पुत्र फ्ददी यादव
निवासी ग्राम सुल्लेरन पुरवा (बगौता)
तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

मुकेश भार्गव अभिभाषक
द्वारा आज दि. 09-6-2016 को
प्रस्तुत

9-6-16

विरूद्ध

म.प्र. शासन

...... अनावेदक

मुकेश भार्गव
9-6-16 (एडवोकेट)
ग्वालियर
Received by me
9-6-16

न्यायालय कलेक्टर (नजूल) जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण कमांक 04/अ–20–1/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.05.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा – 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, भूमि खसरा नं. 2703/2 रकवा 1.404 हे. भूमि स्थित मौजा बगौता तहसील व जिला छतरपुर पूर्व में आवेदक के पिता फद्दी पुत्र गोरेलाल यादव के नाम से भूमिस्वामी स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है।

2– यह कि, फ्ददी यादव के फौत होने के पश्चात आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। वाद भूमी आवेदक की पैत्रिक भूमि है वर्ष 1994–95 में हल्का पटवारी ने खसरा रोस्टर करते समय बगेर किसी सक्षम आदेश के मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दी थी जो एक लिपिकीय त्रुटि थी उक्त त्रुटि सुधार हेतु

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1857–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19 –09–2016	1– आवेदक के अधिवकता मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक म.प्र. शासन के अधिवक्ता बी.एन. त्यागी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर (नजूल) जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण कमांक 04/अ–20–1/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि मौजा बगौता तहसील व जिला छतपुर में स्थित भूमि ख.नं. 2703/2 रकवा 1.404 हे. भूमि के पूर्व भूमिस्वामी फद्दी पुत्र गोरेलाल यादव थे फद्दी यादव के फौत होने पर राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि आवेदक सोहन प्रसाद पुत्र फद्दी यादव के नाम से नामांतरित हुई। आदेश दिनांक 21.04.08 से राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि आवेदक के नाम से दर्ज होकर मौके पर काबिज है। आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर (नजूल) छतरपुर ने शासकीय नजूल राजस्व अभिलेख में आवेदक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को सूचना, सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व प्रकरण कमांक 04/अ–20–1/2011–12 में पारित आदेश के पृष्ठ क. 32 सरल कमांक 887 पर सर्वे कमांक 2703/2 रकवा 1.404 हे. भूमि अपने आदेश दिनांक 16.5.12 द्वारा राजस्व अभिलेख में शासकीय नजूल दर्ज करने का विधि विपरीत आदेश पारित किया है। यह भी तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित कर मात्र उपधारणाओं पर आधारित कर भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि अभिलेख में शासकीय नजूल दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है। इस प्रकार कलेक्टर (नजूल) छतरपुर द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 2703/2 रकवा 1.404 हे. भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 16.05.2012 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आवेदक वादग्रस्त सर्वे नं. 2703/2 रकवा 1.404 है0 का अभिलिखित भूमिस्वामी है। कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा	

X^XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1857–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत है। इस कारण कलेक्टर (नजूल) द्वारा अपने आदेश में आवेदक के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष एवं पारित आदेश का अंश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (नजूल) द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.05.2012 का अंश जहां तक आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे कं. 2703/2 रकवा 1.404 है0 का संबंध है निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर का शेष आदेश स्थिर रखा जाता है। तहसीलदार छतरपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तदनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज शासकीय नजूल के स्थान पर पूर्ववत आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करे। सदस्य	